



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228935  
CG-DL-E-12082021-228935

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2990]  
No. 2990]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SRAVANA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

**का.आ. 3221(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1901 (अ) , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 नजीबाबाद बाईपास के किमी 105.423 से किमी 118.373 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 बाईपास के 2.45 किमी छोड़कर) चार लेन चौड़ीकरण के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.05.2021 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" और "हिंदुस्तान" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 नजीबाबाद बाईपास के किमी 105.423 से किमी 118.373 ( राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 बाईपास के 2.45 किमी छोड़कर) चार लेन चौड़ीकरण के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

भारत के राजपत्र, का.आ. 2704 (अ) में, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 डी , में अनुसरण निम्न के स्थान पर :- अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, यह पढ़ा जाये :- अधिसूचना संख्या का.आ.1901 (अ) , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, एवम निम्न के स्थान पर :- और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24.05.2021 को दैनिकजागरण और हिंदुस्तानटाइम्स दोनों में प्रकाशित किया गया था ; यह पढ़ा जाये :- उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24.05.2021 को द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

[फा. सं. 55011/3D Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th August, 2021

**S.O. 3221(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , S.O. 1901(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for for 4 - laning of Najibabad Bypass of NH - 119 from Km. 105.423 to Km. 118.373(excluding 2.45 Km. of NH - 74 bypass) in the State of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Hindustan” both dated 24.05.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within 4 - laning of Najibabad Bypass of NH - 119 from Km. 105.423 to Km. 118.373 (excluding 2.45 Km. of NH - 74 bypass) in the State of UTTAR PRADESH.**

Notification published with S.O. 2704 (E), under section 3D of the NH Act, 1956 at line 2 to be read as :- “S.O.1901 (E) Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,” Instead of:- “Published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, “ Also, At line 7 & 8 to be read as :- And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Hindustan” both dated 24.05.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;” Instead of :- And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” and “Hindustan Times” both dated 24.05.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act” Notification published with S.O. 2704 (E), under section 3D of the NH Act, 1956 at line 2 to be read as :- “S.O.1901 (E) Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,” Instead of:- “Published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, “ Also, At line 7 & 8 to be read as :- And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Hindustan” both dated 24.05.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;” Instead of :- And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” and “Hindustan Times” both dated 24.05.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act”

[F. No. 55011/3D Corr]

RAJESH GUPTA, Director